

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 1178/2024

- बलराम पुत्र श्री पृथ्वी राज, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांव कोहल्ला, 14-एस.एस.डब्ल्यू, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- प्रताप कुमार पुत्र श्री हंसराज, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, 14-एस.एस.डब्ल्यू, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- जोत राम पुत्र श्री बीरबल राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, हनुमान मंदिर, 14-एस.एस.डब्ल्यू, ढाणी कोहल्ला, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- पृथ्वी राज पुत्र श्री सही राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांव कोहल्ला, 8-एस.एस.डब्ल्यू, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
- रणवीर पुत्र श्री साहब राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, कोहल्ला, 14-एस.एस.डब्ल्यू, हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।

-----अपीलकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
 - मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
 - अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, वृत्त हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़।
 - अधिशाली अभियंता, जल संसाधन, खण्ड-II, हनुमानगढ़।
 - सहायक अभियंता, घग्गर उपखण्ड, जल संसाधन, हनुमानगढ़।
-

6. राजकुमार पुत्र सलदीप, निवासी चक फतेहगढ़, खिलेरीबास, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री मानाराम, निवासी फतेहगढ़, गोदाराबास, तहसील और जिला हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री हमीर सिंह सिद्धू के साथ
श्री प्रदीप सिंह खोसा।

प्रतिवादीगण के लिए : श्री सज्जन सिंह राठौर, एएजी,
श्री राजदीप सिंह चौहान।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान् मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधिपति डॉ. नूपुर भाटी

निर्णय

रिपोर्टेबल

20/01/2025

1. सुना गया।
2. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस अपील का आज अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।
3. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.10.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16135/2024 के नेतृत्व वाली रिट याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया गया था।
4. आक्षेपित आदेश और इस अपील तक ले जाने वाले मामले के तथ्यात्मक सार यह है कि वर्ष 2017 में, मुख्य नहर श्याम सिंह वाला ('एस.एस.डब्ल्यू.') के आउटलेट संख्या 10 से 40 के बीच 45 आउटलेट्स वाली एक नई नहर "एफ.टी.जी. माइनर" का निर्माण किया गया था। नई

नहर “एफ.टी.जी. माइनर” के लिए पी-फॉर्म वर्ष 2017 में ही तैयार किया गया था और उक्त पी-फॉर्म के अनुसार नहर का निर्माण किया गया था और आउटलेट प्रदान किए गए थे।

5. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता वे लोग हैं जो उन आउटलेट्स से पानी की आपूर्ति के लाभार्थी थे जिन्हें उस समय खोला गया था।

6. हालांकि, चक 6-एफ.टी.जी के कृषकों के एक अन्य समूह द्वारा कुछ शिकायतें की गईं, जिसमें शिकायत की गई कि उन्हें चक के कुल सी.सी.ए. के अनुसार पानी की आपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। मामले के अभिलेख से यह आगे स्पष्ट होता है कि ऐसी प्राप्त शिकायतों पर, चतुर्थ प्रतिवादी अर्थात् कार्यकारी अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खंड-द्वितीय, हनुमानगढ़ ने सहायक अभियंता को इस संबंध में जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के स्वयं के दिखाने के अनुसार, सहायक अभियंता द्वारा चतुर्थ प्रतिवादी को दिनांक 20.12.2023 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे बाद में तृतीय प्रतिवादी अर्थात् अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, हनुमानगढ़ को भेज दिया गया था। पत्र दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से, चक 1-6 एफ.टी.जी के आउटलेट के आकार को बदलने का निर्णय लिया गया था। सहायक अभियंता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, आउटलेट के आकार को बदल दिया गया और इसके परिणामस्वरूप आउटलेट के आकार में संशोधन हुआ। सहायक अभियंता को पत्र दिनांक 20.12.2023 के साथ दिनांक 11.03.2024 को एक पत्र जारी किया गया था। । इसे तृतीय प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को द्वितीय प्रतिवादी अर्थात् मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ को अग्रेषित किया गया। अंततः, आक्षेपित आदेश दिनांक 20.05.2024 के द्वारा द्वितीय प्रतिवादी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

7. आउटलेट के आकार में संशोधन की दिशा में उपरोक्त कार्यवाही और आदेश दिनांक 20.05.2024 को याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई।

8. प्रतिवादीगण का उत्तर संक्षेप में यह था कि मौजूदा आउटलेट का संचालन केवल एक अस्थायी उपाय था। प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया गया कि यद्यपि योजना को वर्ष 2017 में अंतिम रूप दे दिया गया था, फिर भी लाइनों का निर्माण पूरा नहीं हुआ और एक अस्थायी व्यवस्था जारी रही जो स्वीकृत नई फतेहगढ़ माइनर के अनुसार मुख्य नहर में जल वितरण की स्वीकृत योजना के अनुरूप नहीं थी। सहायक अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिसमें पाया गया कि मौजूदा आउटलेट स्वीकृत वितरण योजना के अनुरूप नहीं थे, आउटलेट के आकार में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से अनुमोदित और स्वीकृत कर दिया गया।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आदेश दिनांक 20.05.2024 की सत्यता और वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए दो मुख्य दलीलें दी गईं। लिया गया पहला आधार यह था कि आउटलेट के आकार में कोई भी परिवर्तन आपूर्ति प्रणाली में भिन्नता या संशोधन के समान है और इसलिए, राजस्थान सिंचाई एवं जल निकासी नियम, 1955 [इसके बाद '1955 के नियम' के रूप में संदर्भित] के नियम 11 (2) के तहत अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। दलील का दूसरा आधार यह था कि किसी भी स्थिति में, यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित है, तो सभी याचिकाकर्ताओं और उन कृषकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, जो 2017 से मौजूदा आउटलेट्स का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों तर्कों को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, चूंकि वर्तमान मामला कृषकों को सिंचाई के उद्देश्य से जल वितरण की स्वीकृत प्रणाली में किसी परिवर्तन का मामला नहीं था, बल्कि केवल विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से वितरण प्रणाली को पूर्व में स्वीकृत और अंतिम रूप दी गई आपूर्ति

योजना के अनुरूप बनाने के लिए केवल एक परिवर्तन/संशोधन का मामला था, इसलिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की सत्यता और वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि विभिन्न आउटलेट्स में पानी के वितरण की मौजूदा प्रणाली स्वीकृत वितरण योजना के अनुरूप नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि इसे आधार बनाया जा सकता है, यह 1955 के नियमों के नियम 11(2) में निहित प्रावधान की परिधि के अंतर्गत था क्योंकि नियम मौजूदा वितरण प्रणाली में परिवर्तन या संशोधन के पीछे के कारणों का उल्लेख नहीं करता है। भले ही इस आधार पर कि मौजूदा प्रणाली स्वीकृत डिजाइन और वितरण प्रणाली के अनुरूप नहीं है, इसे स्वीकृत वितरण प्रणाली के अनुरूप लाने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसके लिए भी राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा "जरनैल सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य" के मामले में डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4707/1991 में पारित आदेश और इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा "रणधीर सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य" के मामले में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9129/2015 में पारित आदेश पर आश्रय किया गया है।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का अन्य तर्क यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए विशिष्ट आधार प्रस्तुत किए थे कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पहलू पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। उनका तर्क है कि मौजूदा प्रणाली का संचालन स्वीकृत योजना के अनुरूप था या नहीं या प्रस्तावित संशोधन उसी के अनुरूप है या नहीं, यह याचिकाकर्ताओं सहित प्रभावित कृषकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना तय नहीं किया जा सकता था। इस तर्क के समर्थन में,

इस न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय "जसवंत बनाम मनी राम और अन्य" जो रिट याचिका डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 673/2003 में पारित किया गया, और विद्वान एकल पीठ के निर्णय "अमर सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य" जो रिट याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5867/1992 में पारित किया गया, पर आश्रय किया गया है।

13. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्राधिकारी तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्राधिकारियों ने पानी की आपूर्ति की मौजूदा प्रणाली को बदलने का प्रस्ताव रखा हो जिसके परिणामस्वरूप आउटलेट में परिवर्तन हुआ हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, प्रतिवादीगण का रुख यह रहा है कि वर्तमान व्यवस्था जो चल रही थी, अवैध थी और वितरण की अनुमोदित योजना के विरुद्ध थी। जब शिकायतों की गईं, तो जांच की गई और रिपोर्ट के आधार पर, अन्य सभी कृषकों को पानी की आपूर्ति की अनुमति देने के आदेश पारित किए गए, जिन्हें अन्यथा सिंचाई सुविधा के लिए पानी की आपूर्ति से अवैध रूप से वंचित किया गया था। भले ही योजना पहले तैयार की गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया है कि 1955 के नियम 11(2) का प्रावधान आकर्षित नहीं होता। उन्होंने आगे दलील दी कि भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर विचार न किया हो कि क्या यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जा सकता है, फिर भी तथ्य यह है कि इस याचिका को दायर करते समय भी, याचिकाकर्ताओं ने कोई अभिवचन या कोई आधार नहीं दिया है कि रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप किसी मामले में उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राहत देने का आधार नहीं हो सकता।

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
 15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने, तात्त्विक अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात्, यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि वर्ष 2017 की स्वीकृत योजना के वर्तमान कार्यान्वयन को जल आपूर्ति की स्थापित एवं स्वीकृत प्रणाली में परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। वर्तमान मामला पहले से ही स्वीकृत योजना का मात्र कार्यान्वयन है और इसलिए, इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति/अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
 16. तथ्यों के आधार पर, प्रस्तुत मामला वह नहीं है जहां प्रतिवादीगण ने यह तर्क दिया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, मौजूदा स्वीकृत योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिससे एक नई स्वीकृत योजना तैयार हुई और परिणामस्वरूप आउटलेट के आकार में संशोधन/परिवर्तन किया गया। प्रतिवादीगण का तर्क यह है कि वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था अस्थायी थी और स्वीकृत योजना के विरुद्ध थी तथा प्रतिवादीगण द्वारा किए गए प्रयास केवल उसे स्वीकृत योजना के अनुरूप लाने के लिए थे।
 17. क्या ऐसे तथ्यात्मक आधार पर 1955 के नियमों का नियम 11(2) लागू होगा, यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे विचारार्थ है।
 18. 1955 के नियमों (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 11 में निहित प्रावधान नहर सिंचाई के वितरण का प्रावधान करता है। संशोधित नियम [जैसा कि रणधीर सिंह और अन्य (उपरोक्त) के मामले में विद्वान एकल पीठ के आदेश में उद्धृत किया गया है], यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार के पूर्व आदेश के बिना नहर वितरण की स्थापित एवं स्वीकृत प्रणाली में कोई भी तात्त्विक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए, जो आदेशित और अधिदेशित किया गया है वह यह है कि नहर वितरण की स्थापित एवं स्वीकृत प्रणाली में किसी भी तात्त्विक
-

परिवर्तन को राज्य सरकार की अनुमति के बिना बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी अधिकारी नहर वितरण की स्थापित एवं स्वीकृत प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। निश्चित रूप से, उन मामलों में प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। हालांकि, हमारी राय में, जहां नहर वितरण की स्थापित एवं स्वीकृत प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जहां नहर वितरण की मौजूदा प्रणाली के अनुरूप आउटलेट के आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए उचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, 1955 के नियमों का नियम 11(2) आड़े नहीं आएगा और इसमें राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कारण यह है कि जब वितरण की एक योजना तैयार की जाती है, तो अधिकारियों द्वारा काफी परिश्रम किया जाता है। विस्तृत कार्यवाही तैयार की जाती है और फिर, नहर वितरण की प्रणाली को अंतिम रूप देने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, केवल तभी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन आवश्यक होगा जब प्रणाली में कोई बदलाव लाना आवश्यक हो। हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ एक नहर वितरण प्रणाली पहले से ही स्थापित और स्वीकृत है, लेकिन शिकायतों पर यह पाया जाता है कि नहर वितरण की स्थापित और स्वीकृत प्रणाली के अनुसार जल आपूर्ति नहीं हो रही है, तो यह स्थापित और स्वीकृत नहर वितरण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन का मामला नहीं होगा, बल्कि स्थापित और स्वीकृत नहर वितरण प्रणाली के उल्लंघन का मामला होगा। इसलिए, ऐसे मामलों में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए नियम की व्याख्या न केवल नियम में संशोधन के समान परिणाम देती है, बल्कि यह अव्यावहारिक है और गंभीर असुविधा का कारण बन सकती है। ऐसे कई मामले बार-बार हो सकते हैं जहां प्राधिकारियों के समक्ष शिकायतें की जा सकती हैं कि आउटलेट के माध्यम से आपूर्ति नहर वितरण की स्थापित और स्वीकृत प्रणाली के अनुसार नहीं की जा रही है। यह

कहना कि हर बार जब ऐसी शिकायतें की जाती हैं और वितरण को नहर वितरण की स्थापित और स्वीकृत प्रणाली के अनुरूप लाने का प्रयास किया जाता है, तो राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी होगी, हमारी राय में, न तो वांछनीय है और न ही 1955 के नियम 11(2) की निष्पक्ष और तार्किक व्याख्या से परिलक्षित होता है।

19. जरनैल सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर आश्रय किया गया है। तथ्यों के आधार पर, वह एक ऐसा मामला था जिसमें 1955 के नियमों के नियम 11(3) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त नियम सक्षमकारी अधिनियम के अधिकारातीत है, क्योंकि राजस्थान सिंचाई और जल निकासी अधिनियम, 1954 [इसके बाद '1954 के अधिनियम' के रूप में संदर्भित] की धारा 31 में निहित प्रावधान नियम बनाने वाले प्राधिकारी को उन पहलुओं पर नियम बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। यह मुख्य तर्क था जो खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन था। खंडपीठ ने 1954 के अधिनियम की धारा 31 में निहित प्रावधान की व्याख्या की और फिर नियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा

कि 1955 के नियमों का नियम 11(3) अधिनियम के तहत सक्षमकारी प्रावधानों के अधिकारातीत नहीं है। हमारे सम्मानपूर्वक विचार में, उक्त निर्णय के पैरा 16 और 17 में खंडपीठ द्वारा जो टिप्पणी की गई है, वह वर्तमान मामले में विचाराधीन इस मुद्दे से संबंधित नहीं है कि क्या उस स्थिति में भी राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, जहाँ आउटलेट के आकार को स्थापित और स्वीकृत नहर वितरण प्रणाली के अनुरूप और संरेखण में लाने के लिए संशोधित किया जाना आवश्यक हो।

20. रणधीर सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ का अन्य निर्णय प्राधिकारी के लिए ऐसा कोई प्रतिपादन नहीं है कि सभी परिस्थितियों में, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां आउटलेट को स्थापित और स्वीकृत नहर वितरण प्रणाली के अनुरूप लाने के

लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जैसा कि उस मामले के तथ्यों से पता चलता है, उस मामले में प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया रुख यह था कि मोगा/आउटलेट की मरम्मत/स्थानांतरण करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों का प्रयास पूरी तरह से सद्भावनापूर्ण और अपरिहार्य है क्योंकि यह नहर के आधुनिकीकरण का परिणाम है। इसलिए, स्पष्ट रूप से, कतिपय विचारों पर नहर को संशोधित करने का प्रयास किया गया था। तथ्यों के आधार पर, वह ऐसा मामला नहीं था जहां अधिकारियों ने आउटलेट के आकार को स्थापित और स्वीकृत नहर वितरण प्रणाली के अनुरूप लाने के लिए उसे बदलने की दिशा में कार्रवाई की थी।। इसलिए, तथ्यों के आधार पर वह निर्णय भी भिन्न है।

21. हम पाते हैं कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आधार लिया गया था कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है, जिसके लिए इस न्यायालय के जसवंत बनाम मनी राम व अन्य (उपरोक्त) के मामले में एक खंडपीठ के निर्णय पर आश्रय किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि सिंचाई की स्थापित और स्वीकृत प्रणाली को प्रभावित करने वाला आदेश सिंचाई की ऐसी स्थापित और स्वीकृत प्रणाली में इस तरह के बदलाव से प्रभावित पक्षों को नोटिस दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था, तथ्यों के आधार पर वह एक ऐसा मामला था जहाँ सिंचाई की स्थापित और स्वीकृत प्रणाली में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया था। अमर सिंह व अन्य (उपरोक्त) के मामले में अन्य निर्णय भी, उसी कारण से तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

22. यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है, फिर भी हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। हम राहत प्रदान करते यदि तथ्यों के आधार पर, यह पाया जाता कि सहायक अभियंता की रिपोर्ट पर गंभीर

आपत्ति जताई गई है, जिसे आक्षेपित आदेश जारी करने का आधार बनाया गया था। हालाँकि, पूरी याचिका में इस बात का कोई ज़िक्र तक नहीं है कि सहायक अभियंता की रिपोर्ट कुछ आधारों पर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थी और यदि सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता कि मौजूदा जल वितरण प्रणाली का संचालन स्थापित और स्वीकृत नहर वितरण प्रणाली के अनुरूप है और रिपोर्ट का प्रभाव मौजूदा नहर वितरण प्रणाली का उल्लंघन करने वाला था। लेकिन तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है।

23. यह सुस्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं हैं। जब तक तथ्यों से कोई उपयुक्त मामला सिद्ध न किया जाए, आदेश को केवल तकनीकी आधार पर दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। रिपोर्ट की सत्यता और वैधता को कोई चुनौती न दिए जाने की स्थिति में, और ऐसा कोई मामला बनाए जाने की बात तो दूर कि जो आपूर्ति प्रणाली चलन में थी और जिसे सुधारा जाना था, वह स्वीकृत योजना के अनुसार थी न कि नई वाली, हम केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

24. इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16124/2024 के नेतृत्व में रिट याचिकाओं के एक समूह में पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इस प्रकार, वर्तमान विशेष अपील (रिट) को खारिज किया जाता है।

25. मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि यदि भविष्य में, प्राधिकारियों के समक्ष अन्यथा संतुष्ट करने के लिए कोई सामग्री लाई जाती है, तो यह आदेश प्राधिकारियों के मार्ग में ऐसे उपयुक्त उपाय करने में बाधक नहीं बनेगा जो यह सुनिश्चित करने

के लिए आवश्यक और अपेक्षित हों कि जल सिंचाई प्रणाली का संचालन स्वीकृत योजना के अनुरूप हो।

(डॉ. नूपुर भाटी), जे

(मनीन्द्र मोहन
श्रीवास्तव), सी.जे

127-/देवेश थानवी/-

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate